7. ग्रामीण विकास योजनाऐं :–

विभिन्न विकास योजनाओं का संक्षिप्त प्रगति विवरण वर्ष 2009–10

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (ैळैल)

1 अप्रेल,1999 से केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से 75:25 अनुपात में वित्तीय पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो को अनुदान द्वारा आय वृद्धि करने वाली परिसम्पत्तिया उपलब्ध कराकर तीन वर्ष की अवधि में उनको गरीबी की रेखा से उपर उठाना है। वर्तमान में इस योजना के तहत स्व सहायता समूहों के रूप में संगठित कर उनकी क्षमता विकासित करने केक साथ प्रशिक्षण सुविधा मुहैया करवाई जाकर सामुहिक रूप से आय सृजित व्यवसाय दिलाये जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना के तहत व्यक्तिगत लाभ हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारो को 50 प्रतिशत अधिकतम 10000/– रूपये एवं सामान्य वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अधिकतम 7500/– रूपये का अनुदान देय है। स्व सहायता समूह हेतु अनुदान की सीमा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अथवा प्रति व्यक्ति 10000/– रूपये अथवा 1.25 लाख रूपये में से जो भी कम हो देय होती है। लघु सिंचाई परियोजना हेतु अनुदासन 50 प्रतिशत तक देय है।

वर्ष 2009–10 (10/2009)				
उपलब्ध नकद राशि	व्यय राशि	लाभान्वित स्व सहायता समूह	वितरित ऋण	वितरित अनुदान
173.95 लाख	138.25 लाख	96 समूह	235.45 लाख	113.40 लाख
लक्ष्य साख सृजन	उपलब्धियां		–	–
435.00 लाख	235.45 लाख			

2. इन्दिरा आवास योजना (प्।ल)

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवासहीन चयनित परिवारो को आवास उपलब्ध कराने हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार से इस योजना में राशि 75:25 में प्राप्त होती है। योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारो हेतु 60 प्रतिशत, अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारो हेतु 15 प्रतिशत तथा अपंग व्यक्तियो हेतु 3 प्रतिशत राशि आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हे सहित 35000/– रूपये नये आवास हेतु तथा 15000 रूपये क्रमोन्नत आवास हेतु उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2009–10 (10/2009)					
	गत वर्ष के अपूर्ण एवं नवीन आवास	पूर्ण आवास	प्रगतिरत	उपलब्ध नगद राशि	व्यय राशि

नवीन आवास	1011	375	506	166.36 लाख	142.80 लाख
कमोन्नत आवास	595	156	213	47.20 लाख	32.75 लाख

3. विधायक स्थानीय क्षैत्र विकास योजना (डस।स।व)

इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जनोपयोगी सामुदायिक परिसम्पत्तियो के निर्माण करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति विधायक 80 लाख रूपये का आंवटन निर्धारित किया गया है। प्रत्येक विधायक द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुशंषा उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने का प्रावधान है। कार्यो का क्रियान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं, निगमों, नगरपालिकाओं अथवा विभागो द्वारा करवाया जाता है। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण वाणिज्य संगठन या निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति वस्तु अथवा सामान की खरीद, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति एवं धार्मिक स्थल पर निर्माण आदि कार्य कराना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

वर्ष 2009–10 (10/2009) 12वीं विधानसभा					
विधान सभा क्षेत्र	गत वर्ष के अपूर्ण कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत	अप्रारम्भ/निरस्त	व्यय राशि
बून्दी	42	28	13	1	17.50 लाख
के0पाटन	57	29	23	5	32.45 लाख
हिण्डोली	36	30	6	–	8.98 लाख
नैनवां	16	14	1	1	9.75 लाख

12वीं विधानसभा के गत वर्ष तक के 151 अपूर्ण कार्यो में से 101 कार्य पूर्ण करवाये गये, 43 कार्य प्रगतिरत है तथा शेष 7 अप्रारम्भ कार्य कार्यकारी संस्थाओं की अनुशंसा अनुसार निरस्त योग्य है।

13 वीं विधानसभा

विधान सभा क्षेत्र	प्राप्त अनुशंषा	प्रशासनिक सवीकृति	तकनीकी स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत	व्यय राशि
बून्दी	48	47	26	25	1	5	4.22 लाख
के0पाटन	60	57	25	19	2	4	4.27 लाख
हिण्डोली	32	30	23	21	0	4	2.50 लाख

13वीं विधान सभा के उक्त 60 बकाया तकनीकी स्वीकृति हेतु संबंधित कार्यकारी संस्थाओं को जारी करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा 8 लम्बित वित्तीय स्वीकृतियां प्रकियाधीन है एवं 1 संशोधित अनुशंषा भिजवाये जाने हेतु विधायक के0पाटन को निवेदन किया गया है।

4. सांसद स्थानीय क्षैत्र विकास योजना (डच्स।क)

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस योजना में संसद सदस्यो को उनके निर्वाचन क्षेत्रो में पूंजीगत प्रगति के जन उपयोगी विकासात्मक निर्माण कराने हेतु प्रति वर्ष 2.00 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। कार्यो का कियान्वयन पंचायतीराज संस्थाओं, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं, निगमों, नगरपालिकाओं अथवा विभागो द्वारा करवाया जाता है। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण वाणिज्य संगठन या निजी संस्था के लिए विभागो द्वारा करवाया जाता है। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण वाणिज्य संगठन या निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति वस्तु अथवा सामान की खरीद, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति एवं धार्मिक स्थल पर निर्माण आदि कार्य कराना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। संसद सदस्य द्वारा उनके क्षेत्र में निर्माण कार्यो की अनुशंषा उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2009–10 (10/2009)				
गत वर्ष के अपूर्ण एवं नवीन स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत	उपलब्ध नगद राशि	व्यय राशि
23	17	6	12.19 लाख	12.19 लाख

5. गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना (ळळश्रैल)

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षैत्रो में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियो के निर्माण एवं रख–रखाव में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह योजना वर्ष 2004–2005 से प्रारम्भ की गई है। सामान्य क्षैत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि नकद, श्रम अथवा सामग्री के रूप में जन सहयोग के रूप में प्राप्त की जावेगी। योजनान्तर्गत अनुदान एवं ऋण वाणिज्य संगठन या निजी संस्था के लिए परिसम्पत्ति वस्तु अथवा सामान की खरीद, व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति एवं धार्मिक स्थल पर निर्माण आदि कार्य कराना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। योजना के कियान्वयन के लिए पंचायत समिति स्तर पर निर्माण कार्य के प्रस्ताव के साथ 5000/– रूपये नकद राशि पंजीकरण हेतु जमा कराने का प्रावधान रखा गया है। निर्धारित जन सहयोग की राशि जमा होने के पश्चात बजट की उपलब्धता एवं कार्य की प्राथमिकता अनुसार जिला कलक्टर द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

वर्ष 2009–10 (10/2009)				
गत वर्ष के अपूर्ण एवं नवीन स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत	उपलब्ध नगद राशि	व्यय राशि
12	6	5	8.73 लाख	5.15 लाख

6. डांग क्षेत्रीय विकास योजना (क।छळ)

दस्युओं से प्रभावित डांग क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डांग क्षेत्र विकास योजना को पुनः प्रारम्भ करने की माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की घोषणा के अनुसरण में यह योजना प्रारम्भ की गई है।

डांग क्षैत्र विकास योजनान्तर्गत बून्दी जिले की पंचायत समिति के0पाटन की 14 ग्राम पंचायतों को निम्नानुसार क्रमशः बसवाडा, बडाखेडा, पापडी, सखावदा, उतराना, खरायता, मोहनपुरा, सुमेरगंजमण्डी, दौलतपुरा, बलवन, नवलपुरा, गुढा, बाबई, चाण्दाखुर्द को सम्मिलित किया गया है।

योजना का उद्देश्य दस्युओं को प्रभावित डांग क्षेत्र की आवश्यकता एवं क्षेत्र में जन आंकाक्षाओं के अनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास के कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है। सामुदायिक परिसम्पत्तियो एवं अन्य आधारभूत भौतिक सम्पत्तियो का सृजन, स्थानीय समुदाय को रोजगार की उपलब्धता एवं उसके जीवन स्तर में सुधार, स्थानीय एवं अन्य लोगो की जनभागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय लोगो के परम्परागत कार्यो को विकासत करने एवं उनको जीविकोपार्जन के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है।

इस योजना द्वारा केवल ऐसे कार्यो पर ही राशि व्यय की जा सकेगी जिससे सृजित होने वाली परिसम्पत्तियां किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था के स्वामित्व की हो।

वर्ष 2009–10 (09/2009)				
गत वर्ष के अपूर्ण एवं नवीन स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत	उपलब्ध नगद राशि	व्यय राशि
3	1	2	9.26 लाख	3.29 लाख

7. स्वविवेक योजना :–

वर्ष 2009–10 (09/2009)				
गत वर्ष के अपूर्ण एवं नवीन स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत	उपलब्ध नगद राशि	व्यय राशि
10	5	3	6.56 लाख	1.55 लाख